बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषयः– **राज्य के चार नगर निकायों यथा नगर निगम गयाजी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं बिहारशरीफ में कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट (सी०बी०जी०) के अधिष्ठापन हेतु ऑयल गैस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनीज, क्रमशः इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आई०ओ०सी०एल०), गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एच०पी०सी०एल०) एवं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी०पी०सी०एल०) को संबंधित नगर निकाय में 10 एकड़ भूमि 25 वर्षो के लिए मात्र उपयोग हेतु निःशुल्क उपलब्ध कराने की स्वीकृति।**

स्वच्छ भारत मिशन 2.0 योजना का मुख्य उद्देश्य कचरा मुक्त शहर का निर्माण करना है। ठोस एवं तरल अपशिष्टों का प्रबंधन शहरों के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठोस एवं तरल अपशिष्टों का सही तरीके से प्रबंधन नहीं हो पाने के कारण कचरा मुक्त शहर की कल्पना को पूर्ण करना संभव नहीं है।

2. गोबर्धन योजना स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 का हिस्सा है, जो शत प्रतिशत स्रोत पर पृथक्कीरण, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और अपशिष्ट–से–संपत्ति संयंत्रों सहित टिकाऊ स्वच्छता बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देती है। गोबर्धन योजना जैव–सीएनजी और समुदाय–आधारित निर्माण की सुविधा प्रदान करती है। शहरी जैविक कचरे को ईंधन और उर्वरक में परिवर्तित करके गैर–नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करती है और लैंडफिल से मीथेन उत्सर्जन को कम करती है। तद्नुसार शहरों में निकलने वाले जैविक कचरे को संशोधित करने के लिए सी०बी०जी० प्लांट अधिष्ठापित किया जा सकता है, जिसमें शहरों से निकलने वाले गीले कचरे और अन्य जैवकीय कचरे आदि को बायोगैस और जैव–घोल जैसे मूल्यवान संसाधनों में परिवर्तित किया जा सके।

3. गीले कचरे के प्रसंस्करण के लिए कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट (सी०बी०जी०) की स्थापना शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं) के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जैविक कचरे को एक मूल्यवान नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में परिवर्तित करके अपशिष्ट प्रबंधन के लिए

एक स्थायी समाधान प्रदान करता है, शहरी क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक अवसर पैदा करता है, और आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करके ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देता है। यह चक्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देता है।

4. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार का अर्द्धसरकारी पत्र संख्या–2/1/2023–एस०बी०एम०–IV/एस०पी०सी०(पी०टी०) दिनांक–10.10.2023 द्वारा अनुरोध किया गया है कि गोबर्धन योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में वेस्ट–टू–वेल्थ प्लांट के अंतर्गत ऑयल गैस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनियों के द्वारा सी०बी०जी० प्लांट लगाया जाए, जिससे नगर निकायों से निकलने वाले गीले कचरे को प्रसंस्करण किया जा सके और ऊर्जा संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सके। ऑयल गैस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी सी०बी०जी० प्लांट के अधिष्ठापन हेतु एक सफल मॉडल मानी जाती है क्योंकि इन कम्पनियों के पास प्लांट से उत्पन्न होने वाले गैस के बेचने हेतु खरीदार होते है और मजबूत डिस्ट्रब्यूशन नेट्रवर्क के कारण सी०एन०जी० पम्पों पर भी इसका उपयोग आसानी से हो जाता है। साथ ही सी०बी०जी० प्लांट के अधिष्ठापन में नगर निकायों को किसी प्रकार के वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

5. सी०बी०जी० प्लांट के अधिष्ठापन तथा संचालन हेतु आवश्यक तकनीकी सहयोग, प्लांट, भवन, मशीनरी एवं अन्य आवश्यक आधारभूत संरचना की स्थापना इत्यादि ऑयल गैस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनीज द्वारा की जाएगी। इस मॉडल में नगर निकायों द्वारा कंपनी के साथ 25 वर्षों के लिए दीर्घकालीन कन्सेशन अग्रीमेंट किया जाएगा तथा नगर निकायों द्वारा सेग्रेगेटेड ऑर्गेनिक म्युनिसिपल वेस्ट, निःशुल्क भूमि, प्लांट के नजदीक परिवहन एवं आवागमन हेतु सम्पर्क पथ, जलापूर्ति, सीवेज और जल निकासी की सम्पर्कता एवं बिजली की सम्पर्कता इत्यादि जैसी आधारभूत संरचना उपलब्ध करायी जाएगी। इस हेतु राशि का व्यय नगर निकाय द्वारा किया जायेगा। आवश्यकता होने पर नगर निकाय द्वारा विभाग से राशि की प्रतिपूर्ति का अनुरोध किया जायेगा।

6. सी०बी०जी० प्लांट के अधिष्ठापन एवं संचालन में होने वाले सम्पूर्ण व्यय (कैपेक्स एवं ऑपेक्स) का वहन ऑयल गैस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनीज द्वारा किया जाएगा। प्लांट से प्राप्त गैस एवं अन्य उत्पाद का उपयोग ऑयल गैस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनीज द्वारा ही किया जाएगा।

7. सी०बी०जी० प्लांट के अधिष्ठापन हेतु ऑयल गैस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनीज से प्राप्त सहमति के आलोक में उन्हें निम्न नगर निकायों में कार्य आवंटित किया जाता है।

क्र० सं०	कम्पनीज का नाम	कार्य आवंटन हेतु नगर निकाय का नाम
1	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आई०ओ०सी०एल०)	नगर निगम, गयाजी
2	गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल)	नगर निगम, मुजफ्फरपुर
3	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एच०पी०सी०एल०)	नगर निगम, भागलपुर
4	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी०पी०सी०एल०)	नगर निगम, बिहारशरीफ

8. सी०बी०जी० प्लांट के अधिष्ठापन एवं संचालन हेतु ऑयल गैस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनीज को नगर निकाय के स्वामित्व वाले 10 एकड़ भूमि 25 वर्षों के लिए नगर निगम गयाजी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं बिहारशरीफ द्वारा मात्र उपयोग के लिए निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त तीन नगर निकायों यथा गयाजी, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर में भूमि उपलब्ध है। नगर निगम, बिहारशरीफ द्वारा बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 अथवा बिहार लीज नीति के तहत भूमि प्राप्त की जायेगी। 25 वर्षों के उपरांत प्लांट का हस्तांतरण नगर निकाय को कर दिया जाएगा।

9. उक्त के आलोक में भूमि नगर निगम के स्वामित्व के अधीन रखते हुए ऑयल गैस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनीज को मात्र उपयोग हेतु उपलब्ध करायी जाएगी।

10. कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट (सी०बी०जी०) के अधिष्ठापन के क्रम में एवं इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निर्गत किया जाएगा।

11. उक्त प्रस्ताव पर दिनांक–12.08.2026 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक मे मद संख्या–01 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

12. अतः **राज्य के चार नगर निकायों यथा नगर निगम गयाजी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं बिहारशरीफ में कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट (सी०बी०जी०) के अधिष्ठापन हेतु ऑयल गैस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनीज क्रमशः इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आई०ओ०सी०एल०), गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एच०पी०सी०एल०) एवं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी०पी०सी०एल०) को संबंधित नगर निकाय में 10**

एकड़ भूमि 25 वर्षों के लिए मात्र उपयोग हेतु निःशुल्क उपलब्ध कराने की स्वीकृति पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
(संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी),
सरकार के सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–13/SBM–15/2025 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–अधीक्षक राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना/अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना (सी०डी० संलग्न) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए संकल्प की दो सौ प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह०/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–13/SBM–15/2025 347 /पटना, दिनांक–13/08/26

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/महालेखाकार, बिहार/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/प्रबंध निदेशक, बुडको/सभी जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं सभी नगर पंचायत/सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी, सभी नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी को ई–मेल करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.08.26

सरकार के सचिव।